



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09022026-269958
CG-DL-E-09022026-269958

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 496]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 4, 2026/माघ 15, 1947

No. 496]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 2026/MAGHA 15, 1947

मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन एवं डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2026

का.आ. 525(अ).— राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 (1987 का 37) की धारा 9 के साथ पठित धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित को नामित करती है :

(i) श्री शिरसात कपिल अशोक को राज्य सहकारी डेयरी संघों के अध्यक्षों में से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बोर्ड में निदेशक के रूप में अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए या बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में अवधि तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नामित करती है।

(ii) श्री राम अवतार गर्ग को राज्य सहकारी डेयरी संघों के अध्यक्षों में से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बोर्ड में निदेशक के रूप में अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए या हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नामित करती है।

[फा. सं. एम-03017/1/2022-एडमिन-4]

संजय कुमार, अवर सचिव

नोट:- मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र में का. आ. 210(ई) दिनांक 4 मार्च, 1994 द्वारा प्रकाशित की गई थी और बाद में का. आ. 132(ई) दिनांक 31.3.95, का. आ. 532(ई) दिनांक 6.6.95, का. आ. 166(ई) दिनांक 3.3.96, का. आ. 386 (ई) दिनांक 3.6.96, का. आ. 605 (ई) दिनांक 2.8.96, का. आ. 678 (ई) दिनांक 12.08.96, का. आ. 750 (ई) दिनांक

13.10.97, का. आ. 836 (ई) दिनांक 8.12.97, का. आ. 738 (ई) दिनांक 28.8.98, का. आ. 1005 (ई) दिनांक 26.11.98, का. आ. 1202 (ई) दिनांक 14.10.2003, का. आ. (ई) 2279 दिनांक 25.9.2008, का. आ. 362 (ई) दिनांक 06.02.2014, का. आ. 412 (ई) दिनांक 11.02.2014, का. आ. 2582 (ई) दिनांक 29.07.2016, का. आ. 3589 (ई) दिनांक 30.11.2016, का. आ. 5949 (ई) दिनांक 03.12.2018 और का. आ. 1140 (ई) दिनांक 06.03.2019, का. आ. 4418 (ई) दिनांक 04.12.2020, का. आ. 2545 (ई) दिनांक 24.06.2021, का. आ. 40 (ई) दिनांक 04.01.2022, का. आ. 3883 (ई) दिनांक 18.08.2022, का. आ. 13 (ई) दिनांक 20.12.2022, का. आ. 2685 (ई) 15.06.2023, का. आ. 364 (ई) दिनांक 30.01.2024, का. आ. 1338 (ई) दिनांक 19.03.2025 और का. आ. 3985 (ई) दिनांक 25.08.2025।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry & Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2026

S.O. 525(E).— In exercise of powers conferred by Sub-Section (2) of Section 8 read with Section 9 of the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987), the Central Government hereby nominates

(i) Shri Shirsat Kapil Ashok as Director from amongst the Chairmen of the State Co-operative Dairy Federations on the Board of National Dairy Development Board for a period of One year from the date of notification **OR** upto the period as Chairman, Bihar State Cooperative Milk Producers' Federation Limited **OR** till further orders whichever is earlier.

(ii) Shri Ram Avtar Garg as Director from amongst the Chairmen of the State Co-operative Dairy Federations on the Board of National Dairy Development Board for a period of One year from the date of notification **OR** upto the period as Chairman, Haryana Dairy Development Co-operative Federation Ltd. **OR** till further orders whichever is earlier.

[F. No. M-03017/1/2022-Admin-4]

SANJAY KUMAR, Under Secy.

Note:- The Principal notification was published in the Gazette of India vide S.O.210(E) dated 4th March, 1994 and subsequently amended vide S.O.132 (E) dated 31.3.95, S.O. 532(E) dated 6.6.95, S.O. 166 (E) dated 3.3.96, S.O. 386 (E) dated 3.6.96, S.O. 605 (E) dated 2.8.96, S.O. 678 (E) dated 12.08.96, S.O. 750 (E) dated 13.10.97, S.O. 836 (E) dated 8.12.97, S.O. 738 (E) dated 28.8.98, S.O. 1005 (E) dated 26.11.98, S.O. 1202(E) dated 14.10.2003, S.O. (E) 2279 dated 25.9.2008, S.O. 362 (E) dated 06.02.2014, S.O. 412 (E) dated 11.02.2014, S.O. 2582 (E) dated 29.07.2016, S.O. 3589 (E) dated 30.11.2016, S.O. 5949 (E) dated 03.12.2018 and S.O. 1140 (E) dated 06.03.2019, S.O. 4418 (E) dated 04.12.2020, S.O. 2545 (E) dated 24.06.2021, S.O. 40 (E) dated 04.01.2022, S.O. 3883 (E) dated 18.08.2022, S.O. 13 (E) dated 20.12.2022, S.O. 2685 (E) 15.06.2023, S.O.364 (E) dated 30.01.2024, S.O. 1338(E) dated 19.03.2025 and S.O. 3985(E) dated 25.08.2025